22 Jan 2022

Subject Teacher

Adv. Rajendra Rathore (+91 702 3065 394) 35 - Old Chambers 107 in Nobel Chambers

Recommend book - Suryanarayan Mishra

Payment of wages Act, 1936

Enforcement of this Act on 28 March 1937

Wage - धन के रूप में अभिव्यक्त होने वाली मज़दूरी जिस से नियोजन संविदा में अभिव्यक्त या विवक्षित वर्णित सभी निबंदन/ शर्तों की पूर्ति करता हो।

(धन के रूप में अभिव्यक्त पारिस्रमिक)

(जिंस का मतलब धान की मंडी।)

जीवन निर्वाह सूचकांक = life index

Before bonus Act the bonus was not a part of wages but after the bonus Act it become part of wages. If the bonus is provided in form of profit (लामांश) is not a part of wages.

HRA - मज़दूर का हिस्सा है

यात्रा भत्ता भी मज़दूर का हिस्सा नहीं है। जो कार्य के लिए के यात्रा हो। Overtime is also a part of wage.

8.33% of salary part has to be given as bonus.

Who is responsible to pay?

Manager or employer (नियोजक) or the person who has made a contract with you (contractor) नियोजक सीधा payment कर सकता है।

नियोजक की जानकारी के बिना भी नियुक्ति हो सकती है। कैसे? किसी agency के द्वारा किसी श्रमिक की नियुक्ति करना।

Duration - monthly basis should be done. The employer has to pay the wages within the 7 days of last 30 days of work.

In case of state govt it can be 10 days and it can extend to 15 days (in exceptional case)

Time - The payment has to be made only on working days and in working hours.

Mode of payment - प्रचलित currency (sec 3 to 6)

After amendment आपके निवेदन पर लिखित आवेदन पर किसी वितिय संस्था में जमा करवा सकते है। e.g. bank

28 Jan 2022

अगर किसी factory मज़दूर की सेवा समाप्त कोई employer करता है तो उनका भुगतान 2 दिन के भीतर करना होगा।

jins के रूप में भुगतान होता है तो उसके value पहले से ही तय की जाएगी। jins का अर्थ है खाध्यान **Deduction (कटौती)** - मज़दूरी बिना किसी कटौती के अदा की जाएगी। कटौती जैसे PF, यदि लिख कर दे की सदस्यता के लिए इत्यादि। निलम्बन, अनुपस्थिती या जुर्माना ये कटौतियाँ वैध है। 15 वर्ष तक की आयु के मज़दूर का कोई जुर्माना नहीं काटा जाएगा।

जुर्माना (Fine) sec 8

अनुपस्थिती sec 9

10 या अधिक एकमत हो कर बिना सूचना के अनुपस्थित रहते है तो उनके अनुपस्थिती पर 8 दिन से ज़्यादा की मज़दूरी नहीं काटी जाएगी।

अवैध हड़ताल में शामिल होने पर मज़दूरी काटी जाएगी।

29 Jan 2022

Sec 14 - Inspector - there is 2-3 procedure of appointment किसी कारख़ाने का inspector किसी कारख़ाने से railway में हो समुचित सरकार जिसे चाहे जिसे उचित समझे उसे inspector बना सकती है

निरीक्षण - किसी भी कारख़ाने के निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षक को हर उद्योग इस अधिनियम के तहत कुछ सुविधाएँ देगा। निरीक्षण, जाँच इत्यादि।

Sec 15 - inspector ने निरीक्षण किया तो वो एक पक्षकार हो गया है। The authority can be anyone as per workman compensation or district judge or commissioner or some other state authority with two years of experience etc are the authorities (any one) to whom the inspector will submit his report.

Gazette notification से inspector का juridiction decide करते है।

Sec 16 claim application

Sec 17 appeal

Sec 18 Powers of authority - Collect evidence, issue a summon for witnesses or to produce documents.

Sec 19 Omitted

Sec 19 Omittee Sec 20 Penalty

Wage definition, mode of payment is very important for exam perspective.

3 Feb 2022

MINIMUM WAGES ACT, 1948

Adolescent (কুদার) means a person who has completed his 14th year of age but not completed his 18 year

कुमार - ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आयु के 14 वर्ष पूर्ण कर लिए हों एवं 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हों

Adult - who has completed his 18 years of age.

Child means a person who has not completed 14 years of his age.

Appropriate govt सम्मूचित सरकार - जहां सेंट्रल govt ने railway खान या oil field या और किसी निगम की स्थापना की गई है वह सम्मूचित सरकार से केंद्र सरकार से है।

इनके अतिरिक्त किसी और रोज़गार में सम्मुचित सरकार राज्य सरकार कहलाएगी।

Competent Authority - means the authority appointed by appropriate govt by notification in the official gazette.

वह प्राधिकारी जो सम्मूचित सरकार द्वारा राज पत्र अधिसूचित कर किया जाता है

Employer नियोजक (important) - any person who employees whether directly or through another person or whether on behalf himself or any other person.

ऐसा व्यक्ति जो किसी को नियोजन में रखता है प्रत्यक्ष रूप से अथवा अन्य व्यक्ति के माध्यम से स्वयं के द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा।

Employee - means any person who is employed for hire (अवक्रय) (किराये पर) or reward to do anyone skilled or unskilled, manual or electrical in a scheduled employment in respect of which minimum rate of wages fixed.